

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11012021-224325 CG-DL-W-11012021-224325

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 9—जनवरी 15, 2021 (पौष 19, 1942)No. 2]NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 9—JANUARY 15, 2021 (PAUSA 19, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं।

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

> श्रम और रोजगार मंत्रालय (कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2020

सं. ए-12/11/3/फिजियो.ऑक्यो.-भ.वि./2017-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धार 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा-चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे भौतिक चिकित्सक पद से संबंध रखते हैं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भौतिक चिकित्सक के पद पर भर्ती की पद्धति को क्रिनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भौरतक चिकित्सक, भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे

2. राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :-

(क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण क्रिमाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

1—409 GI/2020



सं. ए-12/11/8/भ.वि.-ईसीजी/2017/चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा-चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे ई.सी.जी. तकनीशियन और वरिष्ठ ई.सी.जी. तकनीशियन पद से संबंध रखते हैं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में ई.सी.जी. तकनीशियन और वरिष्ठ ई.सी.जी. तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.सी.जी. तकनीशियन और वरिष्ठ ई.सी.जी. तकनीशियन) भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :-

(क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 5. शारीरिक स्वस्थता :-

(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो। (2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुरुपी नियुक्ति के समान ही होगा।

6. निरर्हता— ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।

- 7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पूर्व विशिष्ट अनुमोदन के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।
- 8. व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरुप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ई.सी.जी. तकनीशियन।	177*(2019) *क.रा.बी. निगम की सभी इकाइयों के लिए कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन।	समूह 'ग', गैर- अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 (25,500- 81,100 रुपये)।	लागू नहीं।	18 से 25 वर्ष के मध्य। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए वर्ग 'ग' पदों के लिए सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु 40 वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।

अनुसूची

सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती होने वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वालों के मामलों में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हता :	लागू नहीं।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा ।
 (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान में 10+2 या उसके समकक्ष। (ii) केंद्र या राज्य सरकार या ए.आइ.सी.टी.ई. से मान्यताप्राप्त संस्थान से ई.सी.जी. में दो वर्ष का डिप्लोमा। टिप्पणी 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हता सक्षम अधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। टिप्पणी 2: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं। 			टिप्पणी 1: पदधारी द्वारा एक वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बाहर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययनार्थ छुट्टी अथवा अन्य किसी परिस्थिति के अंतर्गत रिक्ति केंद्रीय सरकार के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जाएगी। (क) (1) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदधारी; तथा (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव धारक। टिप्पणी 2: समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :— (1) अपर निदेशक, निदेशालय(चिकित्सा) अथवा चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —अध्यक्ष; (2) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —सदस्य; (3) अधिमानत: विशेषज्ञता से संबंधित चिकित्सा अधिकारी (बाह्य नामिति केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से) —सदस्य.	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ ई.सी.जी. तकनीशियन।	05*(2019) *क.रा.बी. निगम की सभी इकाइयों के लिए कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन।	समूह 'ग', गैर- अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5 (29,200- 92,300 रुपये)।	गैर- चयन।	18 से 25 वर्ष के मध्य। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए वर्ग 'ग' पदों के लिए सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु 40 वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हता: (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान में 10+2 या उसके समकक्ष। (ii) केंद्र या राज्य सरकार या ए.आइ.सी.टी.ई. से मान्यताप्राप्त संस्थान से ई.सी.जी. में डिग्री या दो वर्ष का डिप्लोमा। (iii) मान्यताप्राप्त संस्थान में संबंधित वृत्ति में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हता सक्षम अधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। टिप्पणी 2: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय है।	लागू नहीं।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	100% पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(11)	(12)	(13)
ई.सी.जी. तकनीशियन से पदोन्नति के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 में (25,500-81,100) में पांच वर्ष की नियमित	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के	लागू नहीं।
रोपण-4 में (25,500-81,100) में पांच पंच की नियामत सेवा।	विचारार्थ) का गठन :— (1) अपर निदेशक, निदेशालय(चिकित्सा) अथवा	
टिप्पणी 1: वरिष्ठ ई.सी.जी. तकनीशियन के पद पर पदोन्नति के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण	(1) अपर गण्पराक, गण्परालय(गणकरता) अथया चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप चिकित्सा अधीक्षक,	
संस्थान अथवा संक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत संस्था से पद	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल	
की ड्यूटियों तथा कौशल विकास आदि क्षेत्र में अभ्यर्थी का प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति		
दो वर्ष के भीतर होनी नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण के पूर्ण	(2) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य	
करने से छूट प्राप्त होगी। बशर्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व	बीमा निगम अस्पताल	
पदोन्नति हेतु जिन व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया, उन		
पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय	(3) चिकित्सा अधिकारी से संबंधित विशेषज्ञता	

पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर	अधिमानत: (केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से बाह्य	
अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा।	नामिति)	
टिप्पणी 2: जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा	—सदस्य.	
पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा		
है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति	
जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक	(स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :—	
अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी	(1) अपर निदेशक, निदेशालय (चिकित्सा) अथवा	
कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता	चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप चिकित्सा अधीक्षक,	
सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अलग	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल	
उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि	—अध्यक्ष;	
सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	(2) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप	
	निदेशक अथवा सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य	
	बीमा निगम अस्पताल	
	—सदस्य;	
	(3) चिकित्सा अधिकारी से संबंधित विशेषज्ञता	
	अधिमानत: (केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से बाह्य	
	नामिति)	
	—सदस्य.	

अनुराधा प्रसाद महानिदेशक

सं. ए-12/11/13/भ.वि.-रेडियोग्राफर/2017-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (पराचिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रेडियोलॉजी) पट से संबंध रखते हैं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रेडियोलॉजी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:—

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रेडियोलॉजी) भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे

- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. निरर्हता— ऐसा कोई व्यक्ति—
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा
- (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।

∧ OR			transfer on depu	tation or long		
			illness or study l	eave or under		
Two years Diploma in audiology			other circum			
with two years practical experience			duration of one			
as Audiometer Technician in a			may be filled o			
hospital or organisation of the			basis from office			
Central of the State Government or			Government:	as of Central		
autonomous or Statutory body or			Government;			
Public Sector undertaking or			(A) (I) holding a	nalogous post		
University or recognised institute.			on regular basis			
. \`			cadre or departm	*		
Note-1: Qualifications are relaxable			Ĩ	·		
at the discretion of the competent			(B) possessing th	ne educational		
authority in case of candidates			qualification pr	rescribed for		
otherwise well qualified			direct recruits u	inder column		
			number (7).			
Note-2: The qualifications						
regarding experience are relaxable			Note 2: Period			
at the discretion of the competent			including period			
authority in the case of candidates			in another ex-ca			
belonging to Scheduled Castes or			immediately pr			
Scheduled Tribes, if at any stage of			appointment in			
Selection the competent authority is			some other org	ganisation or		
of the opinion that sufficient			department of	the Central		
number of candidates from these	\backslash		Government sha	all ordinarily		
communities possessing the	\mathbf{X}		not to exceed the			
requisite experience are not likely	\backslash			e-limit for		
to be available to fill up the	\backslash		appointment by			
vacancies reserved for them.	\setminus		shall be not ex			
vacancies reserved for them.	$\langle \rangle$		six years as or			
	$\langle \rangle$		date of receipt of			
	\backslash		date of receipt of	application.		
	\backslash					
If a Departmental Promotion Committee	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. Circumstances in which Union					
Public Service Commission						
\backslash				be consulted in		
		\backslash		recruitment.	ii iiiakiiig	
				recruitment.		
	(12)				(13)	

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)	Not Applicable
consisting of:-	
1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent of Deputy	
Medical Superintendent, Employees' State Insurance Corporation Hospital.	
-Chairman,	、
2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employees' State	\backslash
Insurance Corporation Hospital.	
-Member;	
3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central or State Government).	
-Member.	\mathbf{X}

ANURADHA PRASAD Director General

No. A-12/11/8/RR-ECG/2017/Med.VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees State Insurance Corporation

(Paramedical post), Recruitment Regulations, 2010, in so far as they relate to the posts of ECG Technician and Sr. ECG Technician, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of ECG Technician and Senior ECG Technician in Employees' State Insurance Corporation, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, ECG Technician and Senior ECG Technician, Recruitment Regulations, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Nationality.—A candidate for appointment must be: -
 - (a) a Citizen of India; or
 - (b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
- 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed these Regulations.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Physical fitness. (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.

- 6. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

- 7. Power to relax. Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- 8. Savings. Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ECG Technician.	177* (2019) *For all the units of Employees' State Insurance Corporation subject to variation	Group 'C', Non- Ministerial.	Level-4 in the Pay Matrix (Rs. 25,500- 81,100).	Not applicable.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for employees of the Employees' State Insurance Corporation upto forty years for appointment by direct recruitment to Group 'C' posts in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government

SCHEDULE

- 5	3
5	2

de	lepending	from time to time).
uj	vorkload.	Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification: (i) 10+2 in Science or equivalent from a recognised Board. (ii) Two years Diploma in ECG from Central or State Government or AICTE recognised institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of Selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstance for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government; (A)(I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; and (B) possessing the educational qualification prescribed for direct recruits under column number (7). Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical	Not applicable.

Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employee's' State Insurance Corporation Hospital	
-Chairman;	
2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employee's' State Insurance Corporation Hospital	
-Member;	
3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central or State Government)	
-Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior ECG Technician.	05*(2019) *For all the units of Employees' State Insurance Corporation subject to variation depending upon workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level- 5 in the Pay Matrix (Rs. 29,200- 92,300).	Non- Selection.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for employees of the Employees' State Insurance Corporation upto forty years for appointment by direct recruitment to Group 'C' posts in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualification:	Not	Two years	100% by
(i) 10+2 in science or equivalent from a recognised Board.	applicable.	for direct recruitment.	promotion failing which
(ii) Degree or two years Diploma in ECG from Central or State Government or AICTE recognised institute.			by direct recruitment.
(iii) Two years experience in the profession concerned in a recognised institute.			
Note-1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified.			
Note-2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of Selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Promotion from ECG Technician with five years regular service in Level-4 in the pay matrix Rs. 25,500-81,100. Note 1: For promotion to the post of Senior ECG Technician, the candidate should have completed the training in the field of duties of the post and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by competent authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employee's State Insurance Corporation Hospital -Chairman; 2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employee's State Insurance Corporation Hospital -Member; 3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central or State Government) -Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employee's State Insurance Corporation Hospital -Chairman; 2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employee's State Insurance Corporation Hospital -Chairman; 3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central or State Government) -Member; 3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central or State Government) -Member; 3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central or State Government) -Member;	Not Applicable.

ANURADHA PRASAD Director General

No. A-12/11/13/RR-Radiographer/2017-Med.-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees State Insurance Corporation (Para Medical Post), Recruitment Regulations, 2010, in so far as they relate to the posts of Senior Technical Assistant (Radiology), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Senior Technical Assistant (Radiology) in Employees' State Insurance Corporation, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Senior Technical Assistant (Radiology), Recruitment Regulations, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed to these regulations.
- 4. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a sporse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post: